राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2010 / 1358 दिनांक 12-10-10

1. समस्त प्रधानाचार्य, आर्युविज्ञान महाविद्यालय एवं नियत्रक सम्बद्व चिकित्सालय।
2. निदेशक, ई.एस.आई. / भ्रमणशील शल्य चिकित्सा ईकाई।
3. समस्त अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
4. समस्त क्षैत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये।
5. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
6. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी,
7. अधीक्षक, कमला नेहरू क्षैत्रीय क्षय प्रशिक्षण एवं प्रर्दशन केन्द्र, अजमेर।

विषय :– सेवारत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारी के लिये 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन कोर्स हेतु आवेदन के सम्बन्ध मे।

उपरोक्त विषय मे लेख है, कि सेवारत वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी / चिकित्सा अधिकारियो को निम्नांकित विषयो मे 6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्षण मे रिक्त सीटो हेतु निर्धारित शर्ते पूर्ण करने वाले चिकित्सको से संलग्न प्रोफार्मा मे आवेदन पत्र आंमत्रित किये जाते है, इच्छुक व्यक्तियों के आवेदन निर्धारित शर्ते पूर्ण करने की स्थिति मे आपके द्वारा अग्रेषित होकर निदेशालय मे अतिरिक्त निदेशक (राजपत्रित) को दिनांक 25.10.10 तक प्रस्तुत करना सुनिश्चित करावे।

निर्धारित शर्ते पूर्ण करने पर काउन्सलिंग के लिये योग्य चिकित्सको की सूची विभाग की बेबसाईट पर दिनांक 27.10.10 को उपलब्ध करा दी जावेगी तथा उक्त सूची के चिकित्सको को दिनांक 01.11.10 को प्रातः 10:30 बजे निदेशालय मे काउन्सलिंग हेतु उपस्थित होना है। चयन सूची दिनांक 04.11.10 को विभाग की बेबसाईट पर उपलब्ध करा दी जावेगी।

चयनित चिकित्सको को निर्धारित बॉण्ड भरकर संबंधित नियत्रंण अधिकारी से कार्यमुक्त होकर दिनांक 10.11.10 को आवंटित मेडीकल कॉलेज मे प्रशिक्षण हेतु उपस्थित होना होगा।

विषय व निर्धारित सीटे जिनमे प्रशिक्षण दिया जावेगा :–

क.स.	विषय	सीट
1.	गायनाक्लोजी एण्ड ऑब्सट्रेटिक्स	30
2.	एनेस्थेसिया	40

कृ. प. उ.

3.	रेडियो डायग्नोसिस	12
4.	पेथौलोजी एण्ड माइक्रोबायलोजी	34
5.	पिडियाट्रिक्स	24

उक्त प्रशिक्षण हेतु निम्नांकित चिकित्सक आवेदन हेतु पात्र होगे :-

1. दिनांक 30.09.10 तक 5 वर्ष की सेवा पूर्ण होना आवश्यक है, जिसमे कम से कम 3 वर्ष की सेवा ग्रामीण/मरू/जनजाति क्षैत्र में अनिवार्य है।

2. दिनांक 30.09.25 से पूर्व चिकित्सक सेवानिवृत नहीं होना चाहिये अर्थात दिनांक 01.10.65 से पूर्व जन्म लेने वाले चिकित्सक प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं है।

3. जिन चिकित्सको ने 18 सप्ताह का एनेस्थेसिया मे प्रशिक्षण या 16 सप्ताह का ई.एम.ओ.सी. (Emergency obstetrics care Training) प्राप्त कर ली है अथवा कर रहे है, वे प्रशिक्षण हेतु पात्र नहीं होगे।

4. प्रशिक्षण पूरा होने के पश्चात् 15 वर्ष की आवश्यक सेवा करनी होगी, जिसमें 5 वर्ष की अनिवार्य ग्रामीण सेवा करनी होगी, इसके लिये रूपये 5.00 लाख का बॉण्ड भरकर देना होगा।

उक्त प्रशिक्षण के संबंध में निम्नांकित स्थिति पुनः स्पष्ट की जाती है :-

1. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय द्वारा प्रशिक्षण की समाप्ति पर परीक्षा ली जावेगी तथा उर्तीण प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र जारी किया जावेगा।

2. उक्त प्रशिक्षण के आधार पर किसी तरह की पदोन्नति की मॉग नहीं की जावेगी।

3. प्रशिक्षण की अवधि को विभागीय प्रशिक्षण काल माना जावेगा, इस अवधि मे नियमानुसार देय वेतन भत्ते पदस्थापित कार्यालय के मार्फत भुगतान किया जावेगा।

कृपया सभी चिकित्सको मे इसको प्रसारित कर इच्छुक चिकित्सको के आवेदन पत्र निर्धारित तिथि तक निदेशालय मे व्यक्तिशः पहुचाना सुनिश्चित करे। यहॉ यह भी उल्लेखनीय है, कि जिन चिकित्सा संस्थानो मे 2 या 2 से अधिक चिकित्सक कार्यरत है, वहा से एक ही चिकित्सक का फार्म अग्रेषित किया जावे, ताकि चिकित्सा व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे।

संलग्नः आवेदन प्रपत्र।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

कृ. प. उ.

क्रमांकः राजपत्रित / डीपीसी / 2010 / 1358 दिनांक 12.10.10

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1 निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राज., जयपुर।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज., जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज., जयपुर।
4. उप शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप–1) विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर अनुरोध है, कि उक्त आवंटित सीटो का मेडीकल कॉलेजवाईज आवंटन हेतु आदेश जारी कराने का श्रम करावे।
5. उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
6. परियोजना निदेशक, आर.एच.एस.डी.पी.।
7. निदेशक, आर.सी.एच. / एडस्, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राज., जयपुर।
8. उप कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर।
9. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभाग की बेबसाईट पर डाउनलोड किये जाने हेतु।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

6 माह के स्कील अपग्रेडेशन प्रशिक्ष हेतु आवेदन पत्र

1. नाम चिकित्सक
   (पूरा नाम लिखे)

2. जन्मतिथि

3. वर्तमान पद

4. चिकित्सा अधिकारी के पद पर
   नियुक्ति तिथि

5. आयोग से चयन वर्ष

6. वर्तमान पदस्थापन

7. **पूर्ण सेवा विवरण**

अवधि	**पदस्थान स्थान**	**ग्रामीण/शहरी**
1. दिनांक से दिनांक तक		

8. यदि पी.जी. डिग्रीधारी है तो उसका विवरण

9. विषय जिसमे प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहते है

मैं प्रमाणित करता हूँ, कि मेरे द्वारा 18 सप्ताह का एनेस्थेसिया मे प्रशिक्षण या 16 सप्ताह का ई.एम.ओ.सी. (Emergency obstetrics care Training) प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया गया है।

हस्ताक्षर चिकित्सक